

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष स्तर के शिक्षा अधिकारियों का स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में (कॉलम संख्या 5 में उल्लेखितानुसार) प्रधानाचार्य -उमावि एवं समकक्ष के पद पर एतद द्वारा किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक श्री/श्रीमती	कहां से राउमावि	जिला	कहां को राउमावि	जिला
1	2	3	4	4	5
1	JANAK RAJ SISODIA	G.HR.SEC SCH. KAYAMPURA	AJMER	G.HR.SEC. SCH. RAMGANJ	AJMER
2	RAJANI MANAV	GOVT.SENIOR.SECONDARY SCHOOL. SURAJ PURA (AJMER)	AJMER	G.HR.SEC SCH. KAYAMPURA	AJMER
3	NARENDRA KUMAR YADAV	GOVT. HR.SEC.SCH. KARNOS	AJMER	I A S E Ajmer	AJMER
4	NAVEEN SAGAR SONI	GOVT. SR.SEC. SCHOOL MINDOLIYA	BHILWARA	G. HR. SEC.S. SARADHNA	AJMER
5	SATYA NARAYAN KEWAT	GOVT. HR.SEC. SCHOOL BILIYAN	BHILWARA	G. HR. SEC.S. LODIYANA MASUDA,	AJMER
6	MRS.SEEMA DEVI SHARMA	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL ALNIYAWAS	NAGAU	G.SR. SEC.SCHOOL GANAHEDE, PEESANGAN	AJMER
7	RENU KURDIA	DARBAR SETH CHAMPA LAL BOHRA GOVERNMENT ADARSH SENIOR SECONDARY SCHOOL RAIPUR	PALI	G.ADARSH SR.SEC.SCHOOL JAMOLA	AJMER
8	KISHAN SINGH MEHRA	GOVERNMENT AADARSH SENIOR SECONDARY SCHOOL BABRA	PALI	GOVT.SENIOR.SECONDARY SCHOOL. SURAJ PURA (AJMER)	AJMER
9	MAHESH BABU SUMAN	G.Sr.Sec.School Merpur	UDAIPUR	Govt.Hr.SEC.School I SURDIYA	AJMER
10	Vinod Motiyani	A D E O Office of DEO -2(sec) Ajmer	Ajmer	G.HR.SEC. SCHOOL HATHI KHEDA, SRI NAGAR	AJMER



www.rajteachers.com

11	YOGITA PANWAR	GHSS PUNDLU to Gsss Sunari Ladnun Nagaur Under Transfer	NAGAUR	GOVT. HR.SEC.SCH. KARNOS	AJMER
----	------------------	---	--------	--------------------------------	-------

उक्त कार्मिक दिनांक 10.10.18 / प्रभावी तिथि तक आवश्यक रूप से नव पदस्थापित स्थान हेतु शालादर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त होकर संबंधित विधालय में कार्यग्रहण करते हुए शाला दर्पण से संबंधित समस्त प्रकार की प्रविष्टियों का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करावें। जिला शिक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति से संभावित रिक्तियों पर किये गये स्थानांतरण संबंधित अधिकारी के कार्यमुक्ति के पश्चात् ही प्रभावी होंगे। आरवीआरईएस के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिक को शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे संस्था प्रधानों को कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से पूर्व निदेशालय की अनुमति लेनी आवश्यक होगी। उपरोक्त कार्मिकों में यदि कोई कार्मिक निर्वाचन विभाग के आदेशों की अनुपालना में मतदाता पुनरीक्षण कार्य अन्तर्गत अपनी ड्यूटी दे रहे हैं उन कार्मिकों की कार्यमुक्ति दिनांक 27.09.2018 के पश्चात् रहेगी। यदि किसी संस्था प्रधान का पदस्थापन माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त/विधवा/दिव्यांग के विरुद्ध हुआ है तो उक्त आदेश संबंधित कार्मिकों की हद तक अप्रभावी रहेगा।



(नथमल डिडेल)

I.A.S.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,


राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/ मा/ संस्था/बी-2/45002/प्रधाना-स्था./2018

दिनांक:-05.10.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार), राजस्थान सरकार जयपुर।
- 2 शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
- 3 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 4 सम्बंधित उप निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
- 5 सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा -प्रथम/द्वितीय
- 6 प्रभारी शाला दर्पण प्रकोष्ठ को कार्यमुक्ति की कार्यवाही हेतु
- 7 सम्बंधित प्रधानाचार्य
- 8 सम्बंधित कार्मिक/संस्था प्रधान को पालनार्थ।
- 9 रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)